राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक पं0 1(16)चिस्वा/2/2004 जयपुर, दिनांक 7.6.2019

–:आदेश:–

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के वर्ष 2001–02 में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रदान करने हेतु दिनांक 16.3.2006 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें **डॉ. मखमल चौधरी, जन्म तिथि 02.07.1955,** चिकित्सा अधिकारी का नाम प्रस्तुत हुआ इनके विरूद्व विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण इनका परिणाम बन्द लिफाफे में रखे जाने की अभिशंषा समिति द्वारा की गई।

उक्त विचाराधीन विभागीय जांच में डॉ. मखमल चौधरी को दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्ड़ित किये जाने के कारण वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की वर्ष 2001–02 से 2003–04 तक की रिक्तियों हेतु पूर्व में आयोजित विभागीय पदोन्नति की अभिशंषाओं का दिनांक 30.4.2019 को पुर्नविलोकन किया गया जिसके अनुसार वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर निम्नानुसार पदोन्नति प्रदान की जाती है :–

वर्ष 2001–02

1. डॉ. राधामोहन सर्राफ, जन्म तिथि 1.9.54
   डॉ. सर्राफ की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर वर्ष 2002–03 में की गई पदोन्नति एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।

वर्ष 2002–03

1. डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, जन्म तिथि 28.8.57
   डॉ. गुप्ता की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर वर्ष 2003–04 में की गई पदोन्नति एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।

वर्ष 2003–04

1. डॉ. मखमल चौधरी, जन्म तिथि 2.7.1955

राज्यपाल की आज्ञा से

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री, राज, सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज. सरकार, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. सरकार, जयपुर
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी
7. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आंदेश आज ही विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करावें।

(ओ. पी. वर्मा)
सहायक शासन सचिव